श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, खगड़िया की अध्यक्षता में दिनांक– 31.10.2016 को आयोजित महत्त्वपूर्ण कार्यो की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : **यथा बैठक पंजी।**

1. लंबित डी0सी0 बिल एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र (राजस्व) :–

अपर समाहर्ता, खगड़िया/प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया को निदेश दिया गया कि लंबित डी0सी0बिल एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में अपर समाहर्ता, खगड़िया एक सप्ताह के अन्दर अपनी अध्यक्षता में एक बैठक बुलायें तथा संबंधित पदाधिकारियों के पास लंबित डी0सी0बिल एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र में सन्निहत राशि के साथ प्रतिवेदित करें।

(अनुपालन–अपर समाहर्ता, खगड़िया/प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, खगड़िया)

2. सर्वे व Land Records के कम्प्यूटरीकरण की प्रगति MIS पर Entry व Website पर प्रकाशन (Reg-2) :–

समीक्षा के क्रम में गत बैठक में प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा द्वारा बताया गया कि 13 राजस्व ग्राम के डाटा की CD फोल्डर प्राप्त हो गयी है, जिसे ऑनलाईन हेतु भेजा गया है। शेष राजस्व ग्राम का CD फोल्डर प्राप्त नहीं हुआ है। समीक्षा में पाया गया कि इसमें एक सप्ताह में कोई प्रगति नही हुई हैं। प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा को निदेश दिया जाता है कि वे इसे स्वयं देखें एवं त्वरित कार्रवाई कर डाटा प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया)

3. AC/DC Bill GAD, Home Minority Welfare :-

समीक्षा में पाया गया कि GAD एवं Minority Welfare से संबंधित DC Bill भेजा जा चुका है। गृह विशेष विभाग के AC/DC के संबंध में विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा ने बताया कि बेवसाईट से गृह विभाग के AC विपत्र की सूची डाऊनलोड की गई है, जिसमें खगड़िया जिला में आठ विपत्र लंबित दिखाया जा रहा है एवं यह विपत्र जिला कल्याण पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेलदौर के यहाँ लंबित है। जिला कल्याण पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेलदौर द्वारा विपत्र जमा किया गया है और उप निर्वाचन पदाधिकारी के यहॉ विपत्र लंबित है। उप निर्वाचन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि DC विपत्र एक सप्ताह के अन्दर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन– उप निर्वाचन पदाधिकारी, खगड़िया)

4. गोगरी अनुमंडल संयुक्त कार्यालय भवन हेतु भू–अर्जन (GAD) :–

विगत बैठक में समीक्षा के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को निदेश दिया गया था कि वे उपर्युक्त भवन हेतु कौन–सी जमीन लेने से सरकार को कम लागत आयेगी उसे दृष्टिगत करते हुए जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें। सर्व प्रथम सरकारी जमीन की खोज की जाय। इस संदर्भ में फरवरी 2015 एवं फरवरी 2016 का MVR को भी देखेंगे, परन्तु इसका निस्तार अभी तक नहीं हो पाया है। पुनः अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर जमीन का चयन कर प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें। अपर समाहर्त्ता इसका अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– अपर समाहर्त्ता, खगड़िया/अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी)

5. व्यवहार न्यायालय, गोगरी हेतु स्थल चयन :–

समीक्षा के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा बताया गया कि अंचलाधिकारी,गोगरी से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसे जिला स्तर पर भेज दिया गया है। अपर समाहर्त्ता, खगड़िया संचिका शीघ्र उपस्थापित करेंगे।

(अनुपालन– अपर समाहर्त्ता, खगड़िया)

6. खगड़िया–कुशेश्वर स्थान रेल लाईन हेतु भूमि का संयुक्त निरीक्षण तेज करना (3.5 KM समस्या ग्रस्त) :–

गत बैठक में समीक्षा के क्रम में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया ने बताया था कि रेलवे के कार्यपालक अभियंता आये थे एवं चेराखेरा से संबंधित चर्चा हुयी थी तथा इस संबंध में उन्हें अनुरोध पर 10 दिनों का समय दिया गया है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी आज की बैठक में उपस्थित नहीं है। ज़िला भू–अर्जन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इस मामलें का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया)

7. पावर सब स्टेशन के लिए भूमि की आवश्यकता :–

विद्युत कार्यपालक अभियंता (परियोजना) ने बताया कि अंचलाधिकारी, चौथम द्वारा दुसरी भूमि की तलाश की जा रही है। उन्हें निदेश दिया गया कि वे अंचल अधिकारी से सम्पर्क कर एक सप्ताह के अन्दर भूमि का अंतिम रूप से चयन करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– विद्युत कार्यपालक अभियंता, परियोजना)

8. सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत विद्यालयों हेतु भूमि की आवश्यकता :–

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान ने बताया कि 14 विद्यालयों (गोगरी–7, चौथम–5, मानसी–1 एवं खगड़िया–1) के लिए जमीन की आवश्यकता है। गत बैठक में उन्हें निदेश दिया गया था कि वे अंचलाधिकारी से सम्पर्क कर जमीन का चयन एक सप्ताह के अन्दर करना सुनिश्चित करें। लेकिन अभी तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,सर्व शिक्षा अभियान, खगड़िया यह बतायें कि विगत 15 दिनों में जमीन के चयन हेतु उनके स्तर से क्या कार्रवाई की गयी है।

(अनुपालन– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान, खगड़िया)

9. NPS पर डाटावेस अपग्रेडेशन (राजस्व) :–

प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया को निदेश दिया गया कि निविदा निकालनें का कार्य सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा)

10. GP, DP, IPPE-2 की डाटा इन्ट्री :–

निदेशक, डी0आर0डी0ए0 को निदेश दिया गया कि GP DP, IPPE-2 की डाटा इन्ट्री में तेजी लायें।

(अनुपालन–निदेशक, डी0आर0डी0ए0)

11. जीविका क्रेडिट लिंकेज व Disbursement rate :–

DPM जीविका को निदेश दिया गया कि क्रेडिट लिंकेज संबंधी डाटा डी0आर0डी0ए0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन– DPM जीविका)

12. पेंशनधारियों का खाता व आधार सीडिंग :–

बैठक में सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा बताया गया कि 9,972 हजार से अधिक खाता संख्या आधार सीडिंग हो चुका है। अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे

सामाजिक सुरक्षा के सभी पेंशन मामलों की अपने स्तर से समीक्षा एक सप्ताह के अन्दर इस कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे साथ ही खाता फ्रीज कराने की भी कार्रवाई सुनिश्चित करायेंगे।

(अनुपालन–सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

13. पेंशन वितरण का उपयोगिता प्रमाण–पत्र :–

सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने बताया कि प्रखंडों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे प्रखंड विकास पदाधिकारियों से समीक्षा कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र का प्रेषण कराना सुनिश्चित करें तथा जहाँ वितरण नहीं हुआ है वहाँ वितरण कराना सुनिश्चित करें। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को निदेश दिया गया कि इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग करें कि अत्यधिक अग्रिम की राशि क्यों दिया गया है।

(अनुपालन–सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

14. डीजल अनुदान का उपयोगिता प्रमाण–पत्र :–

जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया ने बताया कि डीजल अनुदान वितरण का कार्य बन्द हो चुका है। 91 लाख रूपये अनुदान बांटी गयी है। उन्हें निदेश दिया गया कि वितरित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एक सप्ताह के अन्दर भेजें तथा डीजल अनुदान वितरण का अन्तिम प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–जिला कृषि पदाधिकारी)

15. AC/DC बिल व UC की विशेष बैठक :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कई बैठकों में दिये गये निदेश एवं तीन माह से अधिक बीत जाने के बावजूद अभी भी बहुत से डी0सी0 विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र लंबित है। सभी कार्यालय प्रधान को निर्देश दिया गया कि वे एक सप्ताह के अन्दर डी0सी0 बिल एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेंजे एवं सुनिश्चित करें कि एक भी DC विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र लंबित नहीं रहे। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उनके कार्यालय एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा स्थापना के कार्यालय में लंबित डी0सी0 विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा करें एवं अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करें। साथ ही लंबित डी0सी0 विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र को शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें।

प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा एवं प्रभारी पदाधिकारी; विकाश शाखा को निदेश दिया गया कि वे क्रमशः अंचलों एवं प्रखंडों में लंबित DC विपत्र एवं UC को भेजवाना सुनिश्चित करें तथा इसकी समीक्षा हेतु अलग से एक बैठक बुलायें।

(अनुपालन– प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा/ प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा/ जिला के सभी कार्यालय प्रधान)

16. पुनर्वास के लंबित मामलों की समीक्षा, CO से प्रस्ताव लंवित :–

गत बैठक में प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा/प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पुनर्वास के मामलें की सूची तैयार कर समर्पित करें। प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा द्वारा बताया गया कि पुनर्वास मामलें की सूची तैयार की गयी। पुनर्वास के कुल 12 मामलें लंबित है। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी को निदेश दिया गया कि वे स्थिति की समीक्षा कर लें कि पुनर्वास के कोई और मामला किसी अंचल में लंवित तो नहीं है।

(अनुपालन– प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा/जिला आपदा प्रबन्धन शाखा/ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी)

17. स्टेशन रोड एवं अन्य स्थलों से अतिक्रमण हटाना :–

गत बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया को निदेश दिया गया था कि फुटपाथ भेन्डरों को दो दिनों के अन्दर पहचान–पत्र कैम्प लगाकर वितरित करना सुनिश्चित करें। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया द्वारा बताया गया कि पहचान पत्र प्रेस में छपने के लिए दिया गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि पहचान पत्र छपवाकर कैम्प लगाकर वितरित करना सुनिश्चित करें। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया इसे अनुश्रवण कर सुनिश्चित करायेगें। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को छठ पर्व के बाद अतिक्रमण हटाने के निदेश दिया गया।

सार्वजनिक धार्मिक स्थलों के संबंध में मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5वीं तिथि तक विभाग को भेजने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को दिया गया।

(अनुपालन–अनुमंडल पदा0, खगड़िया/कार्यपालक पदा0, नगर परिषद, खगड़िया/ प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा)

18. समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति का मामला :–

स्थापना उप समाहर्त्ता एवं प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, खगड़िया ने वताया कि एक मामला लंवित है। उन्हें निदेश दिया गया कि इसे अविलम्ब निष्पादित करना सुनिश्चित करें। साथ ही गलत ढंग से नियोजित कार्यपालक सहायक के संबंध में भी कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन–स्थापना उप समाहर्त्ता/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा)

19. सीलिंग मामलों की विशेष समीक्षा :–

प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व ने वताया कि भू–हदवंदी के 100 मामले की सूची तैयार हो चुकी है। उन्हें निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण सूची तैयार कर लें।

(अनुपालन– अपर समाहर्त्ता, खगड़िया/प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा)

20. **शहर सुरक्षा तटबंध (KTP) हेतु भू–अर्जन की समीक्षा–**

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया ने बताया कि 3.8 कि0मी0 मिसिंग लिंक तटबंध हेतु बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–2 द्वारा SIA के लिए राशि जमा किया जा चुका है। अधिसूचना की तैयारी की जा रही है। उन्हें निदेश दिया गया कि इस कार्य को शीघ्र करना सुनिश्चित करे।

(अनुपालन–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया)

21. विभिन्न योजनाओं हेतु आधार, बैंक खाता व मोबाईल सीडिंग :–

समीक्षा में पाया गया कि आधार सीडिंग की प्रगति काफी धीमी है। उप विकास आयुक्त एवं निदेशक, डी0आर0डी0ए0 को निदेश दिया गया कि विभिन्न योजनाओं हेतु आधार, बैंक खाता व मोबाईल सीडिंग की समीक्षा करें एवं केन्द्रवार अद्यतन प्रतिवेदन अगली बैठक में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।

विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, खगड़िया को निदेशित किया गया कि आधार ,बैंक खाता व मोबाईल सीडिंग की प्रगति काफी धीमी है सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को पत्र लिखा जाय।

(अनुपालन–उप विकास आयुक्त/ निदेशक, डी0आर0डी0ए0)

22. **7 थाना भवन/आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराना 2/6 :–**

प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा ने बताया कि अमौसी के लिए भू–अर्जन की आवश्यकता है। बहादुरपुर में गैरमजरूआ जमीन है। SC/ST थाना के लिए अंचल अधिकारी से प्रतिवेदन नहीं आया है। पुल निर्माण हो जाने के कारण मोरकाही थाना के लिए जमीन की आवश्यकता नहीं है। उन्हें निदेश दिया गया कि थाना हेतु भूमि की उपलब्धता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर अगली

बैठक में प्रगति से अवगत करायें। समीक्षा में बताया गया कि मोरकाही में थाना भवन बन कर तैयार है। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि मोरकाही में थाना प्रारंभ कराने के लिए थाना भवन तक वाहन आदि जाने लिए रास्ते का पर्यवेक्षण कर लें।

(अनुपालन–अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा)

23. विभागीय कार्यवाही के लंबित मामले :–

स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि विभागीय कार्यवाही की कुल 14 मामले हैं। कार्यवाहीवार विवरणी बैठक में पढ कर सुनायी गयी तथा विभागीय कार्यवाही के सभी संबंधित संचालन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि नियमानुसार शीघ्र विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। स्थापना उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि अन्य शाखा द्वारा यदि विभागीय कार्यवाही प्रारंम्भ की गयी है, तो सूची में इसे भी शामिल करें। साथ ही उन्हें इस मामलें का अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– स्थापना उप समाहर्त्ता/सभी संबंधित पदाधिकारी)

24. 7 (सात) निश्चय की प्रगति की समीक्षा :–

7 (सात) निश्चय के तहत इंजिनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेकनिक कॉलेज, महिला आई0 टी0 आई हेतु जमीन उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने तथा अन्य निश्चय से संबंधित लंवित मामलों की समीक्षा कर अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन से अवगत कराने हेतु उप विकास आयुक्त को निदेश दिया जाता है।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त)

25. गैर मजरूआ आम–खास भूमि की पंजी व विवरणी Score-3 :–

जिला अवर निबंधक, खगड़िया ने बताया कि कुल 307 मौजा में से 255 मौजा का स्कोर–3 प्राप्त हुआ एवं 52 मौजे का आना बाकी है। जिला अवर निबंधक को निदेश दिया गया कि प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा से सम्पर्क कर शेष मौजे का स्कोर–3 प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा को निदेश दिया गया कि जिस मौजे की पंजी प्राप्त नहीं हुई है उस मौजे के राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई हेतु संचिका उपस्थापित करें। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि वैसे कर्मियों की सूची स्थापना उप समाहर्त्ता, खगड़िया को उपलब्ध करायें तथा स्थापना उप समाहर्त्ता, खगड़िया वैसे कर्मियों का वेतन भुगतान पर रोक लगाना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः– स्थापना उप समाहर्त्ता, खगड़िया/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा/जिला अवर निबंधक)

26. विधान मंडल के लंबित उत्तर :–

सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं सभी शाखा के प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि लंबित सभी प्रश्नों का उत्तर एक सप्ताह के अन्दर भेजना सुनिश्चित करें ।

अपर समाहर्त्ता को निदेशित किया जाता है कि विधान मंडल के जिला स्तर पर जो भी मामले लंबित हैं उसकी समीक्षा कर प्रश्नोत्तर सामग्री इस सप्ताह में भेजवाना सुनिश्चित करे।

(अनुपालनः– अपर समाहर्त्ता/सभी जिला स्तर पदाधिकारी/सभी शाखा के प्रभारी पदाधिकारी)

27. पशुगणनाः–

पृच्छा पर जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि पशुगणना का कार्य पूर्ण हो गया है एवं सभी प्रखंडों से सूची प्राप्त हो गयी है। उन्हें निदेश दिया गया कि पशुगणना संबंधी वांछित प्रतिवेदन सरकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे। जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि प्रतिवेदन भेज दिया गया है।

(अनुपालन– जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया)

28. स्वास्थ्य विभाग के परिसरों को अतिक्रमण मुक्त कराना:–

गत बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी को विहित प्रपत्र में स्वास्थ्य केन्द्र के अतिक्रमण से संबंधित विहित प्रतिवेदन तैयार कर अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी एवं खगड़िया को उपलब्ध कराने का निदेश विषेश कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, खगड़िया को दिया गया था। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारियों को विहित प्रपत्र उपलब्ध करा दिया गया है, परंतु प्रतिवेदन अप्राप्त है। अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन शीघ्र भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को बन्नी के स्वास्थ्य विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी)

29. राजेन्द्र सरोवर का मामला:–

समीक्षा के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा द्वारा बताया गया कि अंचल अधिकारी, खगड़िया को माननीय उच्च न्यायालय पटना के GP नं0 10 से सम्पर्क कर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को निदेश दिया गया कि वे इसका अनुश्रवण करेंगे।

(अनुपालन–प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा)

30. महादलित सामुदायिक भवन–सह–वर्क शेड निर्माण 22/57:–

गत बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया था कि 57 सामुदायिक भवन में से 24 का निर्माण हो गया है तथा शेष 33 का निर्माण कार्य लंबित है। उन्होंने यह भी बताया था कि निर्माणाधीन वर्क शेड का निरीक्षण उनके द्वारा किया गया एवं पाया गया है कि कुछ में पिलिंथ लेवल तक कार्य हुआ है। उन्हें निदेश दिया गया था कि वे निरंतर निरीक्षण कर निर्माण कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। आज की बैठक में उपस्थित नहीं रहने के कारण इसकी समीक्षा नहीं की जा सकी। जिला कल्याण पदाधिकारी अगली बैठक में स्थिति से अवगत करायेगें।

(अनुपालन– जिला कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया)

31. DAY-NULM अन्तर्गत आश्रय स्थल निर्माण:–

गत बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया को DAY-NULM अन्तर्गत आश्रय स्थल का निर्माण का अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। तथा उनके द्वारा बताया गया था कि आश्रय स्थल का निर्माण हेतु बलुआही बस स्टैण्ड के निकट स्थल का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है, परंतु अभीतक प्राप्त नहीं हुआ है। कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस मामले को देखें एवं आवश्यक कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद,खगड़िया)

32. लोक सूचना, लोकायुक्त, मानवाधिकार के मामले:–

गत बैठक में प्रभारी पदाधिकारी, मानवाधिकार एवं लोकायुक्त द्वारा लंबित परिवाद पत्र की स्थिति निम्नवत बताई गयी :–

क्र0 सं0	जहाँ परिवाद पत्र जाँच हेतु लंबित है।	लंबित मानवाधिकार परिवाद पत्रों की संख्या	लंबित लोकायुक्त परिवाद पत्रों की संख्या
1	अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी	07	01
2	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी	01	01
3	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी	01	01
4	अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया	04	–

5	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया	03	–
6	उप विकास आयुक्त, खगड़िया	02	02
7	जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया	02	–
8	पुलिस अधीक्षक, खगड़िया	02	–
9	अपर समाहर्त्ता, खगड़िया	01	–
10	निदेशक, डी0आर0डी0ए0	01	–
11	कार्यपालक अभियंता, विद्युत	01	–
12	नया परिवाद पत्र पदाधिकारी नामित करने हेतु	05	–
	कुल	31	05

गत बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे लोक सूचना, लोकायुक्त एवं मानवाधिकार से संबंधित मामले को अविलम्ब निष्पादित करना सुनिश्चित करें। प्रभारी पदाधिकारी, लोक सूचना कोषांग एवं लोकायुक्त कोषांग के बैठक में उपस्थित नहीं रहने के कारण इसकी प्रगति की समीक्षा नहीं की जा सकी।

प्रभारी पदाधिकारी, लोक सूचना कोषांग को निदेश दिया जाता है कि लोक सूचना से संबंधित मामलों का भी भीघ्रातिशीघ्र निशपादन करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–प्रभारी पदाधिकारी, लोक सूचना कोषांग/प्रभारी पदाधिकारी लोकायुक्त एवं मानवाधिकार कोषाग, खगड़िया)

33. जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कराना जल निकाय संरक्षणः–

गत बैठक में प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया द्वारा बताया गया था कि मात्र अलौली अंचल सै विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया को निदेश दिया गया कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है एवं न्यायालय से संबंधित है इसलिए अंचलाधिकारियों को निदेशित करें कि विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन आयोजित होने वाली जिला समन्वय समिति की बैठक में उपलब्ध कराये । समीक्षा में बताया गया कि जिला राजस्व शाखा से अंचल अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा को निदेश दिया जाता है कि स्मार पत्र भेज कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्राप्त करें।

(अनुपालन–प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा)

34. पंचायत व ग्रामीण विकास योजनाओं का UC

उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि पंचायत व ग्रामीण विकास योजनाओं का लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–उप विकास आयुक्त/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

35. <u>पंचायत सरकार भवन को कार्यान्वित करना:–</u>

समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, खगड़िया द्वारा बताया गया कि 22 कलस्टर भवन के विरूद्ध 11 पूर्ण हो चुका है एवं 08 भवन पंचायत को हस्तांतरित कर दिया गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि शेष अपूर्ण को भी पूर्ण करें एवं जो भवन पूर्ण हुए हैं उनकी जांच कर प्रतिवेदित करें। उप विकास आयुक्त, खगड़िया/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवन को कार्यान्वयन हेतु उपस्कर के लिए पत्र पंचायती राज विभाग,बिहार, पटना को भेजा जाय।

(अनुपालन–जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया,कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन)

36. <u>मुख्यमंत्री निश्चय हर घर नल जल :–</u>

गत बैठक में समीक्षा के क्रम में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया–सह–नगर पंचायत, गोगरी ने बताया था कि इसके लिए DPR बनाया जा रहा है। उन्हें निदेश दिया गया कि उक्त कार्य में प्रगति लायें।

(अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया–सह–नगर पंचायत, गोगरी)

37. <u>मुख्यमंत्री निश्चय गली नाली :–</u>

गत बैठक में समीक्षा के क्रम में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया–सह–नगर पंचायत, गोगरी ने बताया था कि इसके लिए DPR बनाया जा रहा है। उन्हें निदेश दिया गया कि उक्त कार्य में प्रगति लायें।

(अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया–सह–नगर पंचायत, गोगरी)

38. <u>आर्य कन्या उच्च विद्यालय का विवाद :–</u>

जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि यह मामला शिक्षा विभाग से संबंधित है इसलिए इसका निदान करना सुनिश्चित करें।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा को भी इस मामले के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा/जिला शिक्षा पदाधिकारी)

39. <u>PP/Adl PP आदि के लिए अनुशंसा :–</u>

प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा को निदेश दिया गया कि PP/Adl PP आदि के लिए सरकारी परिपत्र के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा)

40. <u>गृहरक्षकों का नामांकन :–</u>

स्थापना उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि गृह रक्षकों के नामांकन हेतु रोस्टर अनुमोदन कार्य को अविलम्ब निष्पादित करें।

(अनुपालन : स्थापना उप समाहर्त्ता, खगड़िया)

41. <u>प्रतिनिधियों का मानदेय वितरण :–</u>

जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय वितरण की अद्यतन स्थिति से अवगत करायें।

(अनुपालन : जिला पंचायती राज पदाधिकारी)

42. **अवैध रूप से कायम जमाबंदियों को रद्द करना :–**

अपर समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि अंचलाधिकारियों से अवैध रूप से कायम जमाबंदियों के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त कर अवैध जमाबंदी को नियमानुसार रद्द करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : अपर समाहर्त्ता)

43. **सदर अस्पताल से संबंधित शिकायत (SHC) के वांछित जाँच प्रतिवेदन भेजना :–**

सदर अस्पताल से संबंधित जाँच हेतु उप विकास आयुक्त, खगड़िया की अध्यक्षता में जाँच दल का गठन किया गया है, जिसका जाँच प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। उप विकास आयुक्त को निदेश दिया जाता है कि समिति का जाँच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें।

(अनुपालन : उप विकास आयुक्त, खगड़िया/जाँच समिति के सभी संबंधित सदस्य)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/-
जिलाधिकारी
खगड़िया।

ज्ञापांक 2128 /गो0, दिनांक 12-11-16

प्रतिलिपि : सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचना, अनुपालन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, खगड़िया/जिला आई0टी0 प्रबंधक खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे संबंधित पदाधिकारी के Email पर भेजना एवं जिला के Website पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

जिलाधिकारी
खगड़िया 11/11/16